दिनाँक 24 जनवरी, 2004 को सम्पन्न विद्या परिषद् के बैठक की कार्यवृत्त

।। सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् ।।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

17, महर्षि दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद

पिन - 211 001

तदर्थ विद्या परिषद की दिनाँक 24 जनवरी, 2004 को अपराह्न 2.00 बजे सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवृत्त

तदर्थ विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 24-01-2004 को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में अपराह्न 2.00 बजे हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :-

(1)	प्रोफेसर डी०पी० सिंह, कुलपति	–	अध्यक्ष
(2)	प्रोफेसर अमर सिंह	–	सदस्य
(3)	प्रोफेसर बी०एस० सारस्वत	–	सदस्य
(4)	प्रोफेसर चमन मेहरोत्रा	–	सदस्य
(5)	डॉ० टी.आर. केम	–	सदस्य
(6)	प्रोफेसर एस०पी० गुप्ता	–	सदस्य
(7)	प्रोफेसर एस०एस० वर्मा	–	सदस्य
(8)	डॉ० एस०पी० सिंह	–	सदस्य
(9)	डॉ० रुचि वाजपेयी	–	सदस्य
(10)	डॉ० श्वेता यादव	–	सदस्य
(11)	डॉ० आर.के. बसलस, कुलसचिव	–	सचिव

कुलपति द्वारा सर्वप्रथम नवनियुक्त सदस्य डॉ. टी.आर. केम का परिचय विद्या परिषद् के सम्मानित सदस्यों से कराया गया। इसके पश्चात् कुलपति जी द्वारा उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया गया।

1. विद्या परिषद की दिनाँक 31 जुलाई, 2003 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

2. परिषद् ने स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने से सम्बन्धित प्रस्तावित अध्यादेश पर विचार किया। निश्चय किया कि स्वर्ण पदक/पदक प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने से सम्बन्धित अध्यादेश को निम्नलिखित संशोधनों के साथ स्वीकार किया जाय तथा कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया जाय :-

(i) प्रस्तर (5) "स्वर्ण पदक सामान्यतया चाँदी से निर्मित एवं 18 कैरेट सोने की पालिश वाला होगा।" को हटा दिया जाय।

(ii) प्रस्तर (6) को प्रस्तर (5) पढ़ा जाय।

(iii) प्रस्तर (7) के ऊपर नया प्रस्तर (6) निम्नवत जोड़ दिया जाय :-

"(6) दान-दाता स्वर्ण पदक पर दान-दाता की शर्तों के अनुसार व्यक्ति विशेष का नाम विश्वविद्यालय का संक्षिप्त नाम व मोनोग्राम, पदक का नाम, विद्या शाखा का नाम, पदक प्राप्तकर्ता का नाम व वर्ष अंकित किया जायेगा।"

(iv) प्रस्तर 8 - पदक प्रमाण-पत्र के प्रारूप में "कुलसचिव" का नाम बांयी ओर तथा "कुलपति" का नाम दाहिनी ओर अंकित किया जाय। प्रारूप में नाम के बाद पुत्र/पुत्री का भी उल्लेख किया जाय। साथ ही पदक प्रामण-पत्र प्राप्तकर्ता के नामांकन संख्या को प्रमाण-पत्र के दाहिने किनारे पर ऊपर उल्लिखित किया जाय।

उपरोक्त संशोधन एवं परिवर्धन के पश्चात स्वर्ण पदक सम्बन्धी अध्यादेश **परिशिष्ट 'क'** में वर्णित है।

3. **"विश्वविद्यालय अनुदान आयोग"** द्वारा प्रस्तावित पर्यावरण अध्ययन कार्यक्रम शैक्षिक सत्र 2004-2005 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में परिषद् द्वारा विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि यह पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2004-2005 से स्नातक स्तर {B.A., B.Com एवं B.Sc}पर अनिवार्य किया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि **"इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय," नई दिल्ली** द्वारा प्राप्त पाठ्य सामग्री का ही प्रयोग किया जाय और **इग्नू** द्वारा इस पाठ्यक्रम के शुल्क के सम्बन्ध में जो प्रक्रिया लागू की जाती है वही प्रक्रिया इस विश्वविद्यालय द्वारा लागू की जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि इस पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए अनिवार्य किया जाय किन्तु इस पाठ्यक्रम में प्राप्त अंक को अन्य अंकों में न जोड़ा जाय।

4. B.Ed., M.B.A. तथा M.C.A. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु यद्यपि प्रवेश परीक्षा ली जाती है किन्तु प्रवेश परीक्षा द्वारा चयनित अभ्यर्थी का पंजीकरण अन्य पाठ्यक्रमों की भाँति कराया जाना आवश्यक है। इसलिए उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले सभी प्रवेशार्थियों का पंजीकरण किया जाय और रु. 200/- पंजीकरण शुल्क अन्य पाठ्यक्रमों की भाँति लिया जाय। यह पंजीकरण शुल्क शैक्षिक सत्र 2004-2005 से प्रभावी होगा। उक्त की संस्तुति कार्य परिषद् से किया जाय।

5. अंक सुधार व्यवस्था समाप्त करने पर विद्या परिषद् ने विचार किया। विद्या परिषद् को यह अवगत कराया गया कि अंक सुधार व्यवस्था **इग्नू** में नहीं है तथा इस विश्वविद्यालय द्वारा उक्त सुविधा जुलाई, 2002 से स्थगित कर दी गयी है। उक्त स्थितियों पर विचार कर विद्या परिषद् ने यह निर्णय लिया कि अंक सुधार व्यवस्था समाप्त करने हेतु कार्य परिषद् को संस्तुत किया जाय।

6. निम्नलिखित प्रमाण-पत्र कार्यक्रमों में अधिन्यास व्यवस्था समाप्त करने पर विद्या परिषद् ने विचार किया। विद्या परिषद् इससे भी अवगत हुई कि प्रश्नगत पाठ्यक्रम में अभी तक अधिन्यास व्यवस्था लागू थी किन्तु इग्नू द्वारा सभी प्रमाण-पत्र कार्यक्रम में अधिन्यास व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है और इस विश्वविद्यालय की प्रक्रिया मूलतः इग्नू की प्रक्रिया पर आधारित है। इसलिए इस विश्वविद्यालय द्वारा भी प्रश्नगत प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों में अधिन्यास व्यवस्था समाप्त करने की संस्तुति कार्य परिषद् से की जाय :-

क्रम संख्या	प्रमाण पत्र कार्यक्रम का नाम (कोड सहित)
1.	पर्यटन अध्ययन में प्रमाण-पत्र (CTS)
2.	पोषण एवं आहार में प्रमाण-पत्र (CNF)
3.	उपभोक्ता संरक्षण में प्रमाण-पत्र कार्यक्रम (CCP)
4.	मानवाधिकार में प्रमाण-पत्र कार्यक्रम (CHR)
5.	पर्यावरण अध्ययन में प्रमाण-पत्र कार्यक्रम (CES)
6.	श्रम विकास में प्रमाण-पत्र कार्यक्रम (CLD)
7.	आपदा प्रबन्धन में प्रमाण-पत्र कार्यक्रम (CDM)
8.	शिशु पालन एवं पोषण में प्रमाण-पत्र (CCCN)
9.	कम्प्यूटर में सर्टिफिकेट कोर्स (CCC)

7. UGA, UGCOM, UGSC तथा PGMA नामेन्क्लेचर बदलने पर परिषद् ने विचार किया और यह निर्णय लिया कि UGA के स्थान पर B.A., UGCOM के स्थान पर B.Com., UGSC के स्थान पर B.Sc. तथा PGMA के स्थान पर M.A. नामेन्क्लेचर रखने की संस्तुति कार्य परिषद् से की जाय। साथ ही यह भी निश्चय किया कि शैक्षिक सत्र 2004-2005 के विवरणिका में इसका उल्लेख किया जाय।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

कुलसचिव

<u>संलग्नक : परिशिष्ट (क)</u>

<u>उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय प्रथम अध्यादेश 2002 के अध्याय तीन–अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां एवं पारितोषिक में *प्रस्तावित संशोधन* का प्रारूप</u>

अध्याय – तीन – अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां एवं पारितोषिक से सम्बन्धित अध्यादेश में उल्लिखित "अध्येतावृत्तियाँ" के अन्तर्गत किए गये प्रावधानों के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :–

<u>स्वर्ण पदक</u>

(1) *मेधा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा मेधावी शिक्षार्थियों को स्वर्ण पदक तथा पदक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।*

(2) *विश्वविद्यालय में निम्नलिखित स्वर्ण पदक प्रदान किये जायेंगे :-*

(i) *<u>कुलाधिपति स्वर्ण पदक</u> -*

विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रथम प्रयास एवं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने तथा समस्त विद्या शाखा के स्नातक तथा स्नातकोत्तर परीक्षाओं में उत्तीर्ण समस्त शिक्षार्थियों में सर्वाधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थी को कुलाधिपति ***स्वर्ण पदक*** *प्रदान किया जायेगा।*

(ii) *<u>विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक -</u>*

(क) *विश्वविद्यालय की* ***स्नातकोत्तर*** *परीक्षाओं के अनन्तर प्रथम प्रयास एवं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने तथा प्रत्येक विद्या शाखा के समस्त शिक्षार्थियों में सर्वाधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थी को* ***विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक*** *प्रदान किया जायेगा।*

(ख) *विश्वविद्यालय की* ***स्नातक*** *परीक्षाओं के अनन्तर प्रथम प्रयास एवं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने तथा प्रत्येक विद्या शाखा के समस्त शिक्षार्थियों में सर्वाधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थी को* ***विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक*** *प्रदान किया जायेगा।*

(iii) *<u>दान-दाता **(Donor's)** स्वर्ण पदक -</u>*

विद्या परिषद् की संस्तुति पर कार्य परिषद् द्वारा स्वीकृत दान-दाता की शर्तों के अधीन दान-दाता स्वर्ण पदक प्रदान किया जायेगा।

(iv) *अन्य पदक जैसा कार्य परिषद् समय-समय पर निर्धारित करे।*

(3) *समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में जब दो अभ्यर्थी स्वर्ण पदक के दावेदार हों तब आयु में कनिष्ठ अभ्यर्थी को स्वर्ण पदक प्रदान किया जायेगा परन्तु यदि दोनों की जन्म तिथि एक ही हो तो इस विषय को कुलपति द्वारा गठित समिति को सन्दर्भित किया जायेगा जो लाटरी के आधार पर विनिश्चय करेगी।*

(4) *निम्नलिखित श्रेणी के शिक्षार्थी स्वर्ण पदक के लिए अर्ह नहीं होंगे -*

(क) *बैक पेपर से उत्तीर्ण शिक्षार्थी।*
(ख) *निर्धारित न्यूनतम अवधि में पाठ्यक्रम पूरा न करने वाले शिक्षार्थी।*
(ग) *ऐसे शिक्षार्थी जिनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी हो।*
(घ) *ऐसे शिक्षार्थी जिन्हें परीक्षा के दौरान अनुचित साधन प्रयोग का दोषी पाया गया हो।*

(5) *पदकों पर विश्वविद्यालय का संक्षिप्त नाम व मोनोग्राम, पदक का नाम, विद्या शाखा का नाम, पदक प्राप्तकर्ता का नाम व वर्ष अंकित किया जायेगा।*

(6) दान-दाता स्वर्ण पदक पर दान-दाता की शर्तों के अनुसार व्यक्ति विशेष का नाम, विश्वविद्यालय का संक्षिप्त नाम व मोनोग्राम, पदक का नाम, विद्या शाखा का नाम, पदक प्राप्तकर्ता का नाम व वर्ष अंकित किया जायेगा।

(7) स्वर्ण पदकों एवं पदक प्रमाण-पत्रों का वितरण प्रत्येक वर्ष दीक्षान्त समारोह के अवसर पर किया जायेगा परन्तु यदि किसी वर्ष कतिपय कारणों से दीक्षान्त समारोह न हो तो भी स्वर्ण पदक एवं पदक प्रमाण-पत्र प्रदान किये जायेंगे।

(8) पदक प्रमाण-पत्र का प्रारूप निम्नवत होगा :-

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

नामांकन संख्या ....

श्री/श्रीमती/कु. ....पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती...............................

को .... विद्या शाखा में .... परीक्षा ....

वर्ष .... में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के उपलक्ष्य में .... पदक प्रदान किया जाता है।

कुलसचिव

कुलपति

इलाहाबाद, दिनाँक

उपरोक्त परिवर्धन के उपरान्त सम्बन्धित अध्यादेश (अध्याय – तीन) को निम्नवत पढ़ा जायेगा :–

अध्याय – तीन

अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां एवं पारितोषिक

[धारा 28 (2)(अ) के अधीन]

छात्रवृत्तियां

(1) समस्त छात्रवृत्तियां कार्य परिषद द्वारा एक समिति, जिसमें कुलपति, सम्बन्धित विद्या शाखा का निदेशक एवं विद्या परिषद् द्वारा नामित उसका सक सदस्य होगा, की संस्तुति पर प्रदान की जायेंगी।

इस प्रकार प्रदत्त पारितोषिकों के सम्बन्ध में विद्या परिषद को उसकी आगामी बैठक में अवगत किया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा बी.ए. अथवा बी.एस–सी. अथवा पर्यटन, प्रथम वर्ष के छात्रों को छात्रवृत्तियां श्रेष्ठता के क्रम उन छात्रों को, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. की इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हों, प्रदान की जायेंगी।

(3) बी. काम. प्रथम वर्ष में छात्रवृत्तियां श्रेष्ठता के क्रम में उन छात्रों को जो माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ.प्र. की इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हों, प्रदान की जायेगी।

(4) सभी छात्रवृत्तियां चार किस्तों में, प्रथम तीन माह के लिए अक टूबर में, द्वितीय तीन माह के लिए दिसम्बर में, तृतीय तीन माह के लिए मार्च में तथा चतुर्थ तीन माह के लिए अप्रैल में सम्बन्धित विद्या शाखा के निदेशक की संस्तुति पर देय होंगी।

(6) अध्येता द्वारा अध्येतावृत्ति की अवधि में नियुक्ति हेतु आवेदन–पत्र निदेशक एवं कुलपति के माध्यम से भेजा जा सकेगा।

(7) विद्या परिषद अध्येतावृत्ति के लिए समय–समय पर ऐसे अन्य सामान्य अथवा विशेष शर्तें विहित कर सकेगी जैसा वह उचित समझे।

स्वर्ण पदक

(1) मेधा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा मेधावी शिक्षार्थियों को स्वर्ण पदक तथा पदक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय में निम्नलिखित स्वर्ण पदक प्रदान किये जायेंगे :-

(i) कुलाधिपति स्वर्ण पदक -

विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रथम प्रयास एवं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने तथा समस्त विद्या शाखा के स्नातक तथा स्नातकोत्तर परीक्षाओं में उत्तीर्ण समस्त शिक्षार्थियों में सर्वाधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थी को कुलाधिपति ***स्वर्ण पदक*** *प्रदान किया जायेगा।*

(ii) विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक -

(क) विश्वविद्यालय की ***स्नातकोत्तर*** *परीक्षाओं के अनन्तर प्रथम प्रयास एवं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने तथा प्रत्येक विद्या शाखा के समस्त शिक्षार्थियों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थी को* ***विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक*** *प्रदान किया जायेगा।*

(ख) विश्वविद्यालय की ***स्नातक*** *परीक्षाओं के अनन्तर प्रथम प्रयास एवं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने तथा प्रत्येक विद्या शाखा के समस्त शिक्षार्थियों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थी को* ***विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक*** *प्रदान किया जायेगा।*

(iii) दान-दाता (Donor's) स्वर्ण पदक -

विद्या परिषद् की संस्तुति पर कार्य परिषद् द्वारा स्वीकृत दान-दाता की शर्तों के अधीन दान-दाता स्वर्ण पदक प्रदान किया जायेगा।

(iv) अन्य पदक जैसा कार्य परिषद् समय-समय पर निर्धारित करे।

(3) समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में जब दो अभ्यर्थी स्वर्ण पदक के दावेदार हों तब आयु में कनिष्ठ अभ्यर्थी को स्वर्ण पदक प्रदान किया जायेगा परन्तु यदि दोनों की जन्म तिथि एक ही हो तो इस विषय को कुलपति द्वारा गठित समिति को सन्दर्भित किया जायेगा जो लाटरी के आधार पर विनिश्चय करेगी।

(4) निम्नलिखित श्रेणी के शिक्षार्थी स्वर्ण पदक के लिए अर्ह नहीं होंगे -

(क) बैक पेपर से उत्तीर्ण शिक्षार्थी।
(ख) निर्धारित न्यूनतम अवधि में पाठ्यक्रम पूरा न करने वाले शिक्षार्थी।
(ग) ऐसे शिक्षार्थी जिनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी हो।
(घ) ऐसे शिक्षार्थी जिन्हें परीक्षा के दौरान अनुचित साधन प्रयोग का दोषी पाया गया हो।

(5) स्वर्ण पदक सामान्यतः चाँदी से निर्मित एवं 18 कैरेट सोने की पालिश वाला होगा।

(6) पदकों पर विश्वविद्यालय का संक्षिप्त नाम व मोनोग्राम, पदक का नाम, विद्या शाखा का नाम, पदक प्राप्तकर्ता का नाम व वर्ष अंकित किया जायेगा।

(7) स्वर्ण पदकों एवं पदक प्रमाण-पत्रों का वितरण प्रत्येक वर्ष दीक्षान्त समारोह के अवसर पर किया जायेगा परन्तु यदि किसी वर्ष कतिपय कारणों से दीक्षान्त समारोह न हो तो भी स्वर्ण पदक एवं पदक प्रमाण-पत्र प्रदान किये जायेंगे।

(8) पदक प्रमाण-पत्र का प्रारूप निम्नवत होगा :-

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

नामांकन संख्या ....

श्री/श्रीमती/कु. ....पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती................................

को .... विद्या शाखा में .... परीक्षा ....

वर्ष .... में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के उपलक्ष्य में .... पदक प्रदान

किया जाता है।

कुलसचिव — कुलपति

इलाहाबाद, दिनाँक

<u>व्याख्यात्मक टिप्पणी</u> :-

विश्वविद्यालय में स्वर्ण प्रदान करने सम्बन्धी नियम अभी तक नहीं बने हैं। विद्या परिषद् ने अपनी बैठक दिनाँक 24-01-2004 में विचारोपरान्त संकल्प संख्या 2 के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्तावित अध्यादेश को स्वीकृत करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुति की है। अतः यह प्रकरण कार्य परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत है।

कुलसचिव